भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 66
उत्तर देने की तारीख – 01/12/2025

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट

†66. **श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2022 में 70.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 61.8 प्रतिशत रह गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इन स्कूलों में अवसंरचना के उन्नयन और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) नामांकन में आई उक्त गिरावट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाइज+ (जिला शिक्षा के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 – 8 (प्रारंभिक स्तर) में विद्यार्थियों का नामांकन क्रमशः 31,71,466 और 26,15,935 है।

(ख) और (ग): भारत सरकार समग्र शिक्षा लागू कर रही है, जो प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा-XII तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य पूरे देश

में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल अवसंरचना में सुधार, सार्वभौमिक पहुंच, जेंडर समानता लाने, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल पहलों, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अधिकार आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत कुछ मुख्य मध्यवर्तन निम्नलिखित हैं:-

i. सरकारी स्कूलों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कक्षाएं, बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सहित स्कूल अवसंरचना का उन्नयन और सुधार।
ii. स्कूल यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए सहायता।
iii. सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए सहायता ताकि बच्चों को कम उम्र से औपचारिक स्कूल प्रणाली में प्रवेश करने में सहायता मिल सके, जिससे कुल नामांकन में वृद्धि हो।
iv. स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान करना और उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षा में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करना।
v. सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और निजी स्कूलों के मुकाबले स्कूल की पसंद संबंधी अंतर को कम करने के लिए स्मार्ट कक्षा, डिजिटल बोर्ड, आईसीटी लैब, वर्चुअल कक्षा के लिए सहायता।
vi. स्कूल तक पहुँच प्रदान करने के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए सहायता।
vii. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सहायता।
viii. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) को सहायता, ताकि कमजोर/पिछड़े वर्गों के बच्चें सुरक्षित आवासीय/विद्यालय सुविधा में उच्च कक्षाओं तक शिक्षा जारी रख सके।
ix. शिक्षक शिक्षा को सुदृढ करने के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पौष्टिक गर्म भोजन प्रदान करने के लिए लागू किया गया है, और कवरेज, गुणवत्ता, पोषण मानदंड और नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रभाव के लिए इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है ताकि अवसंरचना की पर्याप्तता/उपयोग और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार/अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अवसंरचना में कमी को ध्यान में रखा जाता है और ऐसी कमी को दूर करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत धनराशि प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस स्थिति की नियमित रूप से आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना का निरंतर मूल्यांकन कर रही है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मध्यवर्तन किए गए हैं:-

i. बच्चों के स्थानीय स्वाद और उपलब्ध सामग्री के अनुसार क्षेत्रवार मेनू, जो भारत सरकार के पोषण मानकों के अनुसार पोषण और शैक्षणिक विशेषज्ञों से इनपुट लेकर तैयार किया गया हो।
ii. फोर्टिफाइड उच्च गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति।

राज्य सरकारों को सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए नामांकन अभियानों, डोर-टू-डोर कैंपेन, सामुदायिक जुटाव जैसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

****